रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 446] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 7, 1990/श्रावण 16, 1912
No. 446] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 7, 1990/SRAVANA 16, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1990

का. आ. 624(अ) :—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग) द्वारा जारी किए गए आदेश सं. का. आ. 681 (अ) तारीख 30 नवम्बर, 1974 का संशोधन करने का निम्नलिखित आदेश जारी करती है :—

(i) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोजन जहां तक उनका संबंध अनुज्ञप्ति या परमिट द्वारा फटकर सीमेंट वितरण के विनियमन से है विखंडित किया जाता है, जो तुरन्त प्रभावी होगा :

(ii) वे सभी आदेश (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) जो किसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने पूर्वोक्त आदेश द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए हैं, ऊपर (i) में विनिर्दिष्ट सीमा तक उपांतरित किए जाते हैं।

परन्तु यह कि उक्त उपांतरण –

(क) उक्त आदेश का पूर्वतन प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या होने से की गई कोई बात ; या

(ख) उक्त आदेश के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व ; या

(ग) उक्त आदेश के विरुद्ध किए गए किसी अपराध की बाबत उपगत कोई शास्ति या दंड ; या

(घ) पूर्वोक्त ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति या दंड के बाबत कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार, को प्रभावित नहीं करेगा।

और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित की जा सकेगी, चालू रखी जा सकेगी या प्रवर्तनशील की जा सकेगी और ऐसी कोई शास्ति या दंड आरोपित किया जा सकेगा जैसे कि उक्त आदेश का उपान्तरण न किया गया हो।

[फा० सं० 26(3)/90-ई सी आर एण्ड ई]

बी. एन. बहादुर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

ORDER

New Delhi, the 7th August, 1990

S.O. 624(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government makes the following Order to amend Order No. S.O. 681(E) dated the 30th November, 1974 issued by the erstwhile Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Civil Supplies and Cooperation), as follows: —

(i) that the delegation of powers under clause (d) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 in so far as it relates to the regulation of retail cement distribution by licences or permits shall stand rescinded with immediate effect;

(ii) that all orders (hereinafter referred to as the said orders) issued by a State Government or a Union Territory Administration in exercise of the powers delegated to them by the aforesaid Order shall stand modified to the extent specified in (i) above.

Provided that such modification shall not affect—

(a) the previous operation of the said Order or anything duly done or suffered thereunder; or

(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the said Order; or

(c) any penalty or punishment incurred in respect of any offence committed against the said Order; or

(d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty or punishment as aforesaid,

And any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty or punishment may be imposed as if the said Order had not been modified.

[F.No. 26(3)/90-ECR&E]

B.N. BAHADUR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990